

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 41/2023-24

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक- 31, दिनांक- 05.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक सुरेन महतो, पिता- स्व0 शिव चरण महतो, साकिम- भेलाटॉड, थाना- बरवाअड्डा, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- भेलाटॉड, मौजा नं0- 99, पुराना खाता सं0- 48, पुराना प्लॉट सं0- 762, नया खाता सं0- 61, नया प्लॉट सं0- 1106, रकबा- 4.95 डिसमील भूमि क्रेता नरेश कुमार, पिता- गोपाल चन्द्र महतो, साकिम- गेन्दनवाडीह, थाना- तोपचौंची, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी हैं तथा विक्रेता थाना- बरवाअड्डा एवं क्रेता थाना- तोपचौंची, जिला- धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास $4.43^{1/2}$ एकड़ शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।